



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233922
CG-DL-E-04032022-233922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 952]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943

No. 952]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 982(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1283 (अ) तारीख 23 मार्च, 2021 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग ii खण्ड 3 उपखण्ड (II) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217) घोड़ारी से जोंक नदी सेक्शन का कि.मी. 50. 290 से 53.330 तक के भूखण्ड में ज्यामितीय सुधार हेतु नये सड़क निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 जुलाई, 2021 को "नई दुनिया" और 17 जुलाई 2021 को "नवभारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में NH-353 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217) घोडारी से जोंक सेक्शन के कि.मी. 50.290 से 53.330 के मध्य ज्यामितीय सुधार हेतु नए सड़क निर्माण ।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: महासमुंद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बागबाहरा				
	गांव का नाम: बिहाझर				
1	236 / 1	निजी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.035	परणिता पति दयाराम साहू जाति- तेली (२३६/१)
2	236/2	निजी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.02	ललिता पति डूमनलाल जाति -तेली (२३६/२)
3	237	सरकारी	तटबंध	0.187	छत्तीसगढ़ शासन (२३७)
4	239/2	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.036	अशोक पिता रामानंद अग्रवाल जाति- अग्रवाल (२३९/२)
5	568	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.016	चंदूलाल साहू पिता नन्दलाल जाति-तेली (५६८)
6	570	निजी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.024	परणिता पति दयाराम साहू जाति- तेली (५७०)
7	571	निजी	कृषि भूमि	0.02	सिद्धार्थ साहू पिता प्रवीण जाति- तेली

			(असिंचित)		(५७१)
8	594	सरकारी	बड़े झाड़ के जंगल	0.036	छत्तीसगढ़ शासन (५९४)
9	626	सरकारी	बड़े झाड़ के जंगल	0.004	छत्तीसगढ़ शासन (६२६)
गांव का नाम: कसही बाहरा					
10	200 / 1	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.111	संतोष कुमार पिता शंकर लाल जाति- गोंड (२०० / १)
11	200/2	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.01	संतोष कुमार पिता शंकर लाल जाति- गोंड (२००/२)
12	201	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.26	कृपाल सिंह पिता चैनु जाति गोंड (२०१)
13	202	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.06	अभिषेक पिता मुरारी लाल जाति अग्रवाल (२०२)
14	207/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.107	मोहम्मद फिरोज पिता अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान (२०७/२)
15	209	सरकारी	शासकीय भूमि	0.044	छत्तीसगढ़ शासन (२०९)
16	219/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.01	कृष्ण कुमार पिता विश्वनाथ जाति- अग्रवाल (२१९/१)
17	221	निजी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.018	गोरखनाथ यादव पिता पीलूराम यादव, जाति- रावत (२२१)
18	227	सरकारी	छोटे झाड़ के जंगल	0.021	छत्तीसगढ़ शासन (२२७)
19	230	सरकारी	बड़े झाड़ के जंगल	0.012	छत्तीसगढ़ शासन (२३०)
			कुल	1.031	

[फा. सं. RW/NH/12037/03/2017/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 982(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 1283 (E), dated 23 march 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.) Maintenance, management and operation for construction of New road to improve geometry of National Highway No. 353 on the stretch of land from Km. 50.290 to Km. 53.330 (Ghodari-Jonk River Section) in the district of MAHASAMUND in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nai Duniya” Dated 17 July, 2021 and “Navbharat” on Dated 17 July, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land Acquisition for New Road for Geometric Improvement from Km. 50.290 to KM 53.330 on National Highway No. 353 (Old N.H. 217) in the district of MAHASAMUND in the state of CHHATTISGARH.

State: CHHATTISGARH District: MAHASAMUND					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bagbahara				
	Village: Bihajhar				
1	236 / 1	Private	Agriculture Land (Irrigated)	0.035	Parnita sahu W/o Dayaram Cast - Teli 236/1
2	236/2	Private	Agriculture Land (Irrigated)	0.02	Lalita w/o Dumanlal Cast- teli 236/2
3	237	Government	Tank Bank	0.187	Govt. Of Chhattisgarh 237
4	239/2	Private	Agriculture Land (Non	0.036	Ashok s/o Ramanand Agrawal cast-Agrawal

			Irrigated)		239/2
5	568	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.016	Chandulal Sahu S/o Nandlal cast-Teli 568
6	570	Private	Agriculture Land (Irrigated)	0.024	Parnita sahu W/o Dayaram Cast-Teli 570
7	571	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.02	Siddharth Sahu S/O Praveen cast-Teli 571
8	594	Government	Bade Jhhad Ke Jangal	0.036	Govt. Of Chhattisgarh 594
9	626	Government	Bade Jhhad Ke Jangal	0.004	Govt. Of Chhattisgarh 626
	Village: Kasahibahara				
10	200 / 1	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.111	Santosh kumar s/o Shankar lal cast-Gond 200/1
11	200/2	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.01	Santosh kumar s/o Shankar lal cast-Gond 200/2
12	201	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.26	Krapal singh s/o chainu cast-Gond 201
13	202	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.06	Abhishek s/o Murari lal Cast - Agarwal 202
14	207/2	Private	Diverted land	0.107	Mohammad Firoj S/O Abdul Rajjak cost-Muslman 207/2
15	209	Government	Govt. Land	0.044	Govt. Of Chhattisgarh 209
16	219/1	Private	Diverted land	0.01	Krishn Kumar S/o Vishwanath, Cast-Agrawal 219/1
17	221	Private	Agriculture Land (Non Irrigated)	0.018	Gorakhnath yadav S/O piluram yadav cast-rawat 221
18	227	Government	Chhote Jhhad ke Jangal	0.021	Govt. Of Chhattisgarh 227
19	230	Government	Bade Jhhad Ke Jangal	0.012	Govt. Of Chhattisgarh 230
			TOTAL	1.031	

[F. No. RW/NH/12037/03/2017/CG/P-5/3D]

RAJESH GUPTA, Director